न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः—चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—44/2012 राजस्व वाद

श्री रतनलाल पिता नंदा तेली, उम्र बालिग निवासी तेलीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) —————वादी

बनाम

1—श्री मदनलाल पिता नंदा तेली, उम्र बालिग निवासी तेलीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2—कमला पुत्री नंदा तेली, उम्र बालिग निवासी तेलीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3—श्रीमति गंगा पुत्री नंदा पत्नि बद्रीलाल तेली, उम्र बालिग निवासी मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4—श्रीमति लादी पुत्री नंदा पत्नि शंकरलाल तेली, उम्र बालिग निवासी कालियाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
5—सोसी पत्नि बंशीलाल तेली, उम्र बालिग निवासी तेलीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
6—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)
7—श्रीमति रामू बेवा नंदा तेली, उम्र बालिग निवासी तेलीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) —————प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89—188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थितः—

1—श्री दूदाराम कुमावत,	—	एडवोकेट—वादीगण
2—श्री सुरेश चन्द्र सैन,	—	एडवोकेट—प्रतिवादीगण

:: नि र्ण य दिनांकः—27.12.2017

संक्षिप्त में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजः नंदा तेली की खातेदारी हक अधिकार की ग्राम तेलीखेड़ा पटवार हल्का आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 458/2 रकबा 8 बिस्वा, 497/2 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 532/3 रकबा 4 बिस्वा, 546/2 रकबा 18 बिस्वा, 482/1 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा तथा ग्राम आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1806 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, 2333/1807 रकबा 18 बिस्वा, 1685 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 1686 रकबा 10 बिस्वा, 1702 रकबा 1 बीघा, 1704/2 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि हैं। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि स्वर्गीय नंदा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

आराजियात वादी के नाम दर्ज करने पर किसी प्रकार की आपत्ति प्रतिवादी संख्या से 5 ने प्रकट नहीं की हैं। इस कारण विवादित आराजियात ग्राम तेली खेड़ा व आरजिया की वादी अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम तेलीखेड़ा पटवार हल्का पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 458/2 रकबा 8 बिस्वा, 497/2 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 532/3 रकबा 4 बिस्वा, 546/2 रकबा 18 बिस्वा, 482/1 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा तथा ग्राम आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1806 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, 2333/1807 रकबा 18 बिस्वा, 1685 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 1686 रकबा 10 बिस्वा, 1702 रकबा 1 बीघा, 1704/2 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि का बंशी के हिस्से तक की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उसी अनुसार भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वह वादी के कब्जे काश्त के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे, न किसी अन्य से करावें। तथा शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

(चिन्मयी गोपाल)
आई. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

आज दिनांक 27.12.2017 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे, न किसी अन्य से करावें। तथा शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

(चिन्मयी गोपाल)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 27.12.2017 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी ।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner